

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 41/2025

दायर दिनांक : 13/06/2025

निर्णय दिनांक : 23/06/2025

उनवान

1. किशनलाल पिता सोला गुर्जर निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
2. छोगालाल पिता सोला गुर्जर निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
3. मंगीलाल पुत्र सोला गुर्जर निवासी सांवता तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. अम्बा पुत्र नारायण गुर्जर निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
2. खुराज पिता घीसा गुर्जर निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
3. गणेश पुत्र नारायण गुर्जर निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
4. जमनालाल पिता नोला गुर्जर निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
5. धापू पत्नी नारायण गुर्जर निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
6. पुष्पाबाई पुत्री नोला गुर्जर निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
7. भेरू पुत्र नारायण गुर्जर निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
8. भेरी पुत्री शोला गुर्जर निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
9. रामचन्द्र पिता परथू गुर्जर निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
10. छोगालाल पिता भोनीराम गाडरी निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
11. रविन्द्र पिता शांतिलाल महाजन निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
12. गोपीलाल पिता गंगाराम गुर्जर निवासी बबराना तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2, 5, 12 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन कर हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल. आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। भू.अ.निरीक्षक, भूपालसागर को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम सांवता की आ.सं. 595 रकबा 0.73 है., आ. सं. 612 रेगा 2.85 है. भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

